उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14, अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ–226001.
CIN:U32201UP1999SGC024928.

संख्या : 801–अधि0प्रब0–03 / पाकालि / 2020–3(316)ई0एम0–03 / 2015 दिनांक : 23 जून, 2020.

श्रीमती निहारिका गुप्ता (2015316),
सहायक अभियन्ता (मीटर),
विद्युत नगरीय वितरण खण्ड,
हुसैनगंज लखनऊ।

विषयः– विदेश (थाईलैण्ड की) यात्रा की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदया,

आपको कारपोरेशन मुख्यालय के पत्र सं0–904–अधि0प्रब0–03 / पकालि / 19–3(316) ई0एम0 –03 / 2015, दिनॉक 06.06.2019 द्वारा विदेश यात्रा हेतु पार–पत्र अनापत्ति प्रमाण–पत्र, कतिपय शर्तो के अधीन निर्गत किय गया था।

उक्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र में अंकित शर्तों का अनुपालन किये बिना ही, आपके द्वारा दिनांक 22.11.2019 से दिनांक 01.12.2019 के मध्य विदेश की यात्रा कर ली गयी है।

आप द्वारा उक्त विदेश यात्रा कारपोरेशन की अनुमति प्राप्त किये बिना ही कर लिये जाने के कारण, कारपोरेशन के पत्र सं0–527 अधि0प्रब0–03 / पाकालि / 2020–3(316)ई0एम0–03 / 2015, दिनांक 12.03.2020 द्वारा स्पष्टीकरण मॉगा गया था।

आपसे प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक 20.03.2020 के सम्यक परीक्षणोंपरान्त यह पाया गया है कि थाईलैण्ड देश की यात्रा की पूर्वानुमति प्राप्त नहीं किया जाना, पूर्व में निर्गत पार–पत्र की अनापत्ति की शर्तों व विभागीय नियमों के प्रतिकूल है।

अतः आपको सचेत किया जाता है कि भविष्य में विदेश यात्रा करने से पूर्व, सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति उ0प्र0पा0का0लि0 मुख्यालय से प्राप्त करने के उपरान्त ही देश से बाहर जायेंगी तथा विदेश यात्रा के अवकाश की स्वीकृति भी कारपोरेशन मुख्यालय से ही प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगी।

भवदीय,

(हिमांशु वार्ष्णेय)
उप सचिव (अ0प्र0–03)

संख्याः–801(1)अधि0प्रब0–03 / पाकालि / 2020–तद् दिनांकः

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, 4ए–गोखले मार्ग, लखनऊ को पत्रांक–2374–प्र0नि0 / मविविनिलि / ई–1 / विदेश गमन, दिनांक 18.11.2019 के सन्दर्भ में इस

..........2–

आशय से प्रेषित कि कृपया भविष्य में विदेश यात्रा की अनुमति वाले प्रकरणों में अवकाश स्वीकृति का प्रस्ताव भी कारपोरेशन मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2. मुख्य अभियन्ता (लेसा सिस गोमती), म0वि0वि0नि0लि0, 33/11 के0वी0 बंगला बाजार उपकेन्द्र, प्रथम तल, लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता (लेसा सिस गोमती), विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–प्रथम, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, हुसैनगंज, प्रथम तल, 33/11 के0वी0 विधान सभा मार्ग सब स्टेशन, लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता (वेब0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(हिमांशु वार्ष्णेय)
उप सचिव (अ0प्र0–03)

प्रतिः–कट फाईल।